# सोनभद्र पुलिस

## प्रेस विज्ञप्ति

**दिनांक- 28.10.2026**

- **SATYA SANATAN TRUST के नाम से पंजीकृत बैंक खाते से लगभग ₹2.37 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी के प्रकरण में भोपाल (मध्य प्रदेश) से 03 और वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **प्रकरण में मुख्य अभियुक्त सहित अब तक कुल 08 अभियुक्त गिरफ्तार।**

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के निर्देशन में साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) **श्री ऋषभ रुणवाल**, क्षेत्राधिकारी साइबर **श्री हर्ष पाण्डेय** एवं क्षेत्राधिकारी दुद्धी **श्री विनय प्रभाकर साहनी** के पर्यवेक्षण में थाना दुद्धी पुलिस एवं सर्विलांस टीम द्वारा ***SATYA SANATAN TRUST*** के नाम से पंजीकृत बैंक खाते से करोड़ों रुपये की साइबर धोखाधड़ी के प्रकरण में भोपाल, मध्य प्रदेश से 03 और वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। वर्तमान गिरफ्तारी में अभियुक्तों के कब्जे से **01 हुंडई अमेज कार** बरामद किए गए। इस प्रकरण में अब तक तीन अलग-अलग कार्रवाइयों में **कुल 08 अभियुक्तों की गिरफ्तारी** की जा चुकी है।

### प्रकरण का विवरण—

समन्वय (JMIS) पोर्टल के माध्यम से SATYA SANATAN TRUST के नाम से पंजीकृत बैंक खातों की जांच में साइबर फ्रॉड से संबंधित कुल **35 शिकायतों में लगभग ₹11.63 करोड़ की धोखाधड़ी** किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई। जांच में प्रकाश में आया कि उक्त ट्रस्ट में कई सदस्यों को जोड़ा गया था। ट्रस्ट के संचालक **ऋषिकेश पाण्डेय** द्वारा ट्रस्ट के नाम से बैंक खाता खुलवाकर उसका खाता नंबर एवं एटीएम कार्ड मध्य प्रदेश निवासी कुछ व्यक्तियों को उपलब्ध कराया गया था। आरोप है कि साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि उक्त ट्रस्ट के बैंक खातों में मंगाई जाती थी। जांच में यह भी प्रकाश में आया कि ट्रस्ट के कई बैंक खाते थे, जिनमें से एक खाते में लगभग **₹2.37 करोड़** की धनराशि प्राप्त हुई थी। धोखाधड़ी की धनराशि ट्रस्ट के खाते में प्राप्त होने के एवज में ट्रस्ट के अध्यक्ष को **20 प्रतिशत कमीशन** दिया जाता था तथा शेष धनराशि आपस में बांट ली जाती थी।

जांच के दौरान यह भी प्रकाश में आया कि उक्त ऋषिकेश पाण्डेय द्वारा **धर्मोदय फाउण्डेशन** नामक संस्थान का भी पंजीकरण कराया गया था, जिसे चुर्क में स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त **बलसा कन्स्ट्रक्शन एंड ट्रेडिंग LLP**, जिसका संबंध किरबिल, म्योरपुर से बताया गया है, तथा **भूमित्रम इंडिया माइक्रो फाउंडेशन ट्रस्ट** सहित अन्य संस्थाओं के बैंक खातों में भी संदिग्ध लेन-देन प्रकाश में आए हैं। इन संस्थाओं से संबंधित लेन-देन की जांच के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

1. सत्य सनातन ट्रस्ट — रजखड़, दुद्धी, जनपद सोनभद्र।
2. भूमित्रम इंडिया माइक्रो फाउंडेशन।
3. बलसा कन्स्ट्रक्शन एंड ट्रेडिंग LLP — किरबिल, म्योरपुर।
4. धर्मोदय फाउण्डेशन — चुर्क।
5. राष्ट्रीय स्वराज फाउण्डेशन।

इस संबंध में थाना दुद्धी पर मु0अ0सं0-281/2026, धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं धारा 66डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

**वर्तमान गिरफ्तारी का विवरण (दिनांक 25.10.2026)—**

प्रकरण में वांछित अभियुक्तों की तलाश के क्रम में निरीक्षक श्री विजय कुमार चौरसिया (प्रभारी निरीक्षक थाना रायपुर), निरीक्षक अपराध थाना दुद्धी श्री अंगद प्रसाद तिवारी एवं सर्विलांस टीम द्वारा मोबाइल लोकेशन के आधार पर **भोपाल, मध्य प्रदेश** में दबिश दी गई। पुलिस टीम ने दिनांक **25.10.2026 को समय करीब 20:05 बजे, थाना अयोध्या नगर क्षेत्रान्तर्गत सी-सेक्टर तिराहे पर यादव टी-स्टाल के पास से 03 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।** गिरफ्तार अभियुक्तों को **ट्रांजिट रिमांड** पर जनपद सोनभद्र लाया गया तथा नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 28.10.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु रवाना किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—**

1. **जय कुमार पाण्डेय** पुत्र स्व0 शशिधर पाण्डेय, निवासी मकान नं0 सी-10, तिरुपति होम्स, थाना अयोध्या नगर, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश; स्थायी पता मकान नं0 173, न्यू देवराज नगर, गीधैला, रामनगर, जिला सतना, मध्य प्रदेश, उम्र करीब 35 वर्ष।
2. **राजेश पोद्दार** पुत्र यशपाल पोद्दार, निवासी फ्लैट नं0 508, सागर लेक व्यू होम, थाना अयोध्या नगर, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश; स्थायी पता वार्ड नं0 09, आदर्श नगर स्कूल के पास, थाना मोरवा, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश, उम्र करीब 46 वर्ष।
3. **बब्बू प्रसाद प्रजापति** पुत्र रामकृष्ण प्रजापति, निवासी फ्लैट नं0 608, सागर लेक व्यू होम, थाना अयोध्या नगर, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश; स्थायी पता ग्राम गोदवाली, थाना बरगवां, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश, उम्र करीब 27 वर्ष।

**वर्तमान गिरफ्तारी में बरामदगी का विवरण—**

* 01 अदद हुंडई अमेज कार।

❖ **प्रकरण में पूर्व में हुई गिरफ्तारियों का विवरण—**

➡ **प्रथम गिरफ्तारी (दिनांक 25.10.2026)—**

थाना दुद्धी पुलिस द्वारा दिनांक **25.10.2026 को प्रातः करीब 06:40 बजे**, रेलवे स्टेशन परिसर रोड, दुद्धी से प्रकरण के मुख्य अभियुक्त हरिकेश पाण्डेय उर्फ ऋषिकेश सहित कुल 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—**

1. **हरिकेश पाण्डेय उर्फ ऋषिकेश** पुत्र चिंतामणि पाण्डेय, निवासी ग्राम बागी बगही, नौगढ़, जनपद चन्दौली (मुख्य अभियुक्त)।
2. **अंजनी कुमार** पुत्र उदित नारायण, निवासी महुअरिया, थाना दुद्धी, जनपद सोनभद्र।
3. **वेदान्त मौर्या** पुत्र पवन कुमार कुशवाहा, निवासी रजखड़, थाना दुद्धी, जनपद सोनभद्र।

➡ **द्वितीय गिरफ्तारी (दिनांक 26.10.2026)—**

विवेचना एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना दुद्धी पुलिस द्वारा दिनांक **26.10.2026 को समय करीब 18:10 बजे**, रनटोला तिराहा, थाना म्योरपुर क्षेत्र से 02 अन्य वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 02 मोबाइल फोन बरामद हुए थे। दोनों अभियुक्तों को दिनांक 27.10.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु रवाना किया गया था।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—**

1. **प्रवेश राज सिंह** पुत्र विष्णुदेव सिंह, निवासी वार्ड नंबर-11, कस्बा अनपरा, थाना अनपरा, जनपद सोनभद्र, उम्र करीब 40 वर्ष।
2. **जोनसीन क्रिशायान उर्फ राजेश कुमार** पुत्र सोमारू, निवासी रेहटा, थाना अनपरा, जनपद सोनभद्र, उम्र करीब 36 वर्ष।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, थाना दुद्धी, जनपद सोनभद्र।
2. निरीक्षक श्री विजय कुमार चौरसिया, प्रभारी निरीक्षक थाना रायपुर, जनपद सोनभद्र।
3. निरीक्षक अपराध श्री अंगद प्रसाद तिवारी, थाना दुद्धी, जनपद सोनभद्र।
4. हे0का0 लालजी यादव, सर्विलांस/एसओजी टीम, जनपद सोनभद्र।
5. का0 राहुल बिन्द, थाना दुद्धी, जनपद सोनभद्र।
6. का0 अजीत कुमार, सर्विलांस/एसओजी टीम, जनपद सोनभद्र।